2-9-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब लगभग डेढ़ वर्ष से पेश नहीं किया है। कई अवसर दिये जा चुके है। जवाब गैर सायलान बंद किया जाता है। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। सायल के वकील का कथन है कि विवादित आराजी में सायलान व गैर सायलान सह खातेदार काश्तकार है। संयुक्त रूप से काबिज है। काश्त नहीं करने देते है। रोड के सहारे मकान बनाना चाहते है। गैर सायलान संख्या 1 के बेड़ के निर्माण पर उतारू है। कब्जे व काश्त में हस्तक्षेप करते है। निर्माण करके बेदखल करना चाहते है। गैर सायलान का कथन है कि सहखातेदार
सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज.)	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
काश्तकार है। संयुक्त रूप से काबिज है। अभी बटवारा नहीं हुआ है। संयुक्त रूप से काबिज है पूर्व से दावा चल रहा है। न्यायालय से धोखा देकर तथ्य को छुपाकर अस्थाई निषेधाज्ञा होकर पाबंद कराना चाहते है। प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं है। बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी में सायल व गैर सायलान संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार है व संयुक्त रूप से काबिज है अप्रार्थी को पाबंद किया जाना हम उचित समझते है कि पक्षकार के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नम्बर 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148 कुल किता-11 कुल रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 1069 किता-1 रकबा 3 बीघा वांके ग्राम- गढ़ी दुबाटी सब तहसील मनियाँ तहसील व जिला- धौलपुर अप्रार्थी मौके पर कब्जा स्थिति को वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखेगें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज•)	